



# कार्यालय नगर निगम जयपुर हैरिटेज

हवामहल के पास, बडीचौपड़, जयपुर. राजस्थान-302002




कार्यालय :- एफ-6 ( )उपा.राज.(प्रथम)/ला.शाखा/जननी/हैरिटेज/2023-24/2140

दिनांक: 12/05/23

## सार्वजनिक-विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि नगर निगम जयपुर हैरिटेज द्वारा नवीन डेयरी वृथों की संख्या 455 के चार गुणा सफल आवेदकों के दस्तावेज सत्यापन हेतु पूर्व विज्ञप्ति संख्या 2083, दिनांक 21.04.2023 के द्वारा दिनांक 24.04.2023 से 12.05.2023 तक मूल दस्तावेजों के साथ सत्यापन हेतु अटल सेवा केन्द्र मुख्यालय नगर निगम जयपुर हैरिटेज में बुलाया गया था। किन्तु आदिनांक तक सफल आवेदकों द्वारा दस्तावेज सत्यापन नहीं करवाया गया है।

अतः दिनांक 15.05.2023 से 19.05.2023 तक सफल आवेदक मूल दस्तावेज का सत्यापन कराया जाना सुनिश्चित करें। यदि आवेदकों द्वारा मूल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं, तो उनका आवेदन स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदनकर्ता की होगी। इस हेतु भविष्य में कोई भी पत्राचार नहीं किया जावेगा। सफल आवेदकों की सूची नगर निगम जयपुर हैरिटेज की वेबसाइट [www.jaipurmheritage.org](http://www.jaipurmheritage.org) पर उपलब्ध हैं। सूचित रहें।


  
(विश्राम मीणा)

I.A.S

आयुक्त  
नगर निगम जयपुर हैरिटेज

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निजी सहायक, माननीय महापौर महोदया, नगर निगम जयपुर हैरिटेज।
2. निजी सहायक, आयुक्त महोदय, नगर निगम जयपुर हैरिटेज।
3. अतिरिक्त आयुक्त, नगर निगम जयपुर हैरिटेज।
4. समस्त जोन उपायुक्त, नगर निगम जयपुर हैरिटेज।
5. राजस्व अधिकारी (लाईसेन्स), नगर निगम जयपुर हैरिटेज को भेजकर लेख है, कि सार्वजनिक विज्ञप्ति नगर निगम जयपुर हैरिटेज (मुख्यालय) के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें।
6. जनसम्पर्क अधिकारी, नगर निगम जयपुर हैरिटेज को भेजकर लेख है, कि उक्त सार्वजनिक विज्ञप्ति का दो प्रमुख राज्यस्तरीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन करावें।
7. एनालिस्ट-कम-प्रोगामर, नगर निगम जयपुर हैरिटेज को भेजकर लेख है, कि उपरोक्तानुसार सार्वजनिक विज्ञप्ति को नगर निगम जयपुर हैरिटेज की अधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करावें।
8. रजिस्ट्रार, (जन्म-मृत्यु), को भेजकर लेख है, कि अटल सेवा केन्द्र में सत्यापन टीम से दस्तावेज सत्यापन का कार्य करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।
9. सुरक्षित पत्रावली।

  
आयुक्त  
नगर निगम जयपुर हैरिटेज